म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

185

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/ 305 भोपाल, दिनांक 22/11/2016

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषयः- मण्डी समितियों में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी समिति सेवा के कार्यरत/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित समयमान वेतनमान के अवकाश नगदीकरण/एरियर्स/पेंशन के भुगतान के संबंध में।

-0-

उल्लेखित विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश की कतिपय मण्डी समितियों में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं मण्डी समिति सेवा के कार्यरत/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित अवकाश नगदीकरण/ समयमान वेतनमान का एरियर्स/पेंशन का भुगतान संबंधित मण्डी समितियों द्वारा नही किया जा रहा है, जिसके कारण संबंधित कर्मचारी द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन एवं मानव अधिकार आयोग में निरंतर शिकायतें की जाती है, जबकि उक्त कर्मचारियों के लंबित स्वत्वों के भुगतान का दायित्व संबंधित मण्डी समितियों का है।

म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 27(2) अनुसार सचिव मण्डी समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होने से मण्डी की आय में वृद्धि के सार्थक प्रयास करने का दायित्व सचिव मण्डी का है ताकि मण्डी की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो एवं कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान प्राप्त हो सके।

अतः उपरोक्त संबंध में निम्नानुसार प्राथमिकता कम से स्वत्वों के निराकरण की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे :-

01. मण्डी समितियों में मण्डी शुल्क से प्राप्त आय से प्रथमतः सभी वैधानिक निधियॉ यथा विपणन विकास निधि, बोर्ड शुल्क, आरक्षित निधि, स्थाई निधि को जमा करावे।

02. उक्त के पश्चात शेष आय से प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित अवकाश नगदीकरण/एरियर्स का भुगतान किया जावे।

03 तत्पश्चात बची हुई शेष आय से वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के नियमित वेतन का भुगतान किया जावे।

04. मण्डी समिति के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन व उपादान का भुगतान मण्डी समिति स्तर पर आरक्षित निधि में संचित निधि से किया जावे।

05. यह सुनिश्चित किया जावे कि यदि मण्डी की आरक्षित निधि में पूर्व वर्षो में राशि जमा नही की गई है तो उसकी गणना कर मण्डी की वर्तमान आय से उक्त राशि आरक्षित निधि में जमा की जावे।

87 k3..Lett

186

06. मण्डी की आय को दृष्टिगत रखते हुये समुचित वैधानिक निधियों तथा वेतन भुगतान नही होने की स्थिति में अधिक पदस्थ अमले को अन्यत्र स्थानान्तरण का प्रस्ताव आंचलिक संयुक्त संचालकों के माध्यम से तत्काल भेजे। मण्डी समिति के कर्मचारियों को संभाग स्तर पर ही मंडियों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जावे।

07. यह सुनिश्चित किया जावे कि मण्डी स्तर पर उतने ही कर्मचारियों को रखा जावे जिनका वेतन भुगतान आदि वैधानिक निधियों की पूर्ति के पश्चात शेष बची आय राशि से हो सके।

08. यदि वर्ष के किसी माह विशेष में आय कम होती है, तथा वेतन आदि का संकट आता है, तो त्वरित आंचलिक संयुक्त संचालक की जानकारी में लाया जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही के पश्चात विस्तृत परीक्षण उपरांत ही अनुदान के प्रस्ताव प्रेषित कियें जावे।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
KR. भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/ 306 भोपाल, दिनांक 22/11/2016

प्रतिलिपिः-

(1) अपर/संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ... । की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन मण्डी समितियों में कराया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर ऐसी मण्डी समितियॉ जहा नियमित रूप से वेतन का भुगतान नही हो पा रहा है वहा अधिक पदस्थ अमले को अन्य मंडियों में स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा सहित भिजवाना सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में मण्डी समितियों में कर्मचारियों को नियमित रूप से भुगतान हो सके तथा प्रत्येक माह मंडियों में उक्त स्थिति की समीक्षा सुनिश्चित की जावे।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
KR. भोपाल